सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 27/2017

बउनवान

छीतरलाल पुत्र मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

1. घासीलाल पुत्र धूल्या
2. परमानन्द पुत्र नाथूलाल
3. ओमप्रकाश पुत्र नाथूलाल
4. बाबूलाल पुत्र नाथूलाल जातिगण मेहर निवासीगण मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां
5. सम्पतबाई पुत्री नाथूलाल पत्नि कैलाश जाति मेहर निवासी मोठपुर तहसील अटरू हाल निवासी सहानी तहसील कुम्भराज जिला गुना (मध्यप्रदेश)
6. जनताबाई पुत्री नाथूलाल पत्नि देवीलाल जाति मेहर निवासी मोठपुर तहसील अटरू हाल निवासी राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा
7. मांगीबाई नाबा. पुत्री देवीलाल
8. कृष्णाबाई नाबा. पुत्री देवीलाल जर्ये वली पिता खुद देवीलाल जातिगण मेहर निवासी घाटा बमोरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां **(रेस्पोडेन्टगण)**

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.05.2017 राजस्व लोक अदालत केम्प मोठपुर बउनवान घांसीलाल वगैरह बनाम छीतरलाल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर. टी. एक्ट मिसल नं. 11/2016

उपस्थित :– 1– श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक **(अपीलांट)**
2–श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 14.03.2018

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के प्रकरण संख्या 11/2016 किस्म 183 (बी) आर.टी.एक्ट बउनवान घांसीलाल वगै. बनाम छीतरलाल मे पारित आदेश दिनांक 30.05.2017 से अप्रसन्न होकर, अपील इस न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय की पेश की, कि रेस्पो. क्रम 1 एवं रेस्पो. क्रम 2 ता 8 के पिता एवं नाना ने उनके खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नंबर 378 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 380 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 367/1943 रकबा 6 बीघा आराजीयात जर्ये रजिस्टर्ड दो विक्रय पत्रों से 2500–2500 रूपये प्रतिफल प्राप्त कर छीतरलाल पुत्र मांगीलाल नाबालिग जर्ये वली माता पन्नीबाई बेचान कर दी थी। तबसे अपीलांट उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है। बेचानकर्ता रेस्पो. क्रम 1 घांसीलाल जीवित है जिसने एवं उसके भाई नाथूलाल ने संयुक्त रूप से उक्त आराजीयात को बेचान कर कब्जा अपीलांट को सुपुर्द किया था। उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्य की भूल की है।

राजस्व केम्प मोठपुर की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 30.05.2017 को अपीलान्ट लोक अदालत शिविर में उपस्थित हुआ और रेस्पोडेन्टगण द्वारा बेचान करने के तथ्य से पीठासीन अधिकारी को अवगत करवाया। लोक अदालत में मात्र समझाईश से पत्रावली का निस्तारण किया जाना था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विरूद्ध जाकर अपीलान्ट को जान बूझकर अनुपस्थित बताकर एकतरफा मनमाना निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से

निरस्तनीय है। धारा 183 बी आर.टी.ए. की कार्यवाही में संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत दोनो पक्षकारों को जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त ही निर्णय पारित करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है जो यथावत रहने योग्य नहीं है। विक्रय तिथि 11.06.1974 से आज दिनांक तक अपीलान्ट उक्त आराजी पर लगातार काबिज चला आ रहा है। अपीलान्ट का उक्त आराजी पर 43 वर्षों का कब्जा है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 43 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है। जो मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 निरस्त फरमावें।

अपील पेश होने पर दिनांक 14.06.2017 को दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। इसी दौरान रेस्पोडेन्टगण की ओर से जर्ये अभिभाषक केविएट पेश हुई जो संलग्न पत्रावली की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई, जिसके प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि अपीलाधीन आराजीयात के दो खातेदार घांसीलाल व नाथूलाल थे जिन्होने दिनांक 11.06.1974 को नाबालिग अपीलांट को जर्ये वली रजिस्टर्ड बेचान कर कब्जा संभला दिया था। बेचानकर्ता घांसीलाल वर्तमान में भी जीवित है। कानूनगी पेचीदगी से भूमि अपीलांट के खाते दर्ज नहीं हुई। बेचानकर्ता के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये। सन् 1974 से आज दिनांक तक 43 वर्ष से अपीलांट उक्त आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। 12 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात रेस्पोडेन्टगण ने कार्यवाही पेश की जो अवधि से बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट उपस्थित होते हुये भी एकतरफा निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अंतर्गत धारा 183 बी आर.टी.ए. निर्णय पारित किया है जबकि प्रकरण धारा 175 आर. टी.ए. का है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांट के अभिभाषक ने विधि दृष्टांत आरबीजे 2009 पृष्ठ संख्या 436 बउनवान कमलाबाई बनाम रामा, आरबीजे 2006 पृष्ठ संख्या 764 बउनवान राज. सरकार बनाम राजीव कुमार, आरआरडी 1984 पृष्ठ संख्या 821 बउनवान केसरबाई बनाम रामगोपाल, आरआरडी 1985 पृष्ठ संख्या 515 बउनवान हुकमसिंह व अन्य बनाम रूपराम व अन्य तथा आरआरडी 1994 पृष्ठ संख्या 773 बउनवान बिहारीलाल बनाम मनफूल की छायाप्रतियां प्रस्तुत की। तथा अपील स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण ने कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जो अपीलाधीन आराजीयात के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा उनके खाते के आराजीयात भिन्न जाति के व्यक्ति को अन्तरण आर.टी.ए. की धारा 42 बी का उल्लंघन है। प्रकरण में धारा 175 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही मात्र तीन वर्ष की अवधि तक ही की जा सकती है। अब कार्यवाही किया जाना अवधि से बाधित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। अपने कथन के समर्थन में रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक ने विधि दृष्टांत आरबीजे 2016 पृष्ठ संख्या 559 बउनवान अतरसिंह व अन्य बनाम राजस्व मंडल व अन्य एवं आरबीजे 2016 पृष्ठ संख्या 507 बउनवान जानकीलाल व अन्य बनाम राजस्व मंडल अजमेर व अन्य की छायाप्रतियां पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत विधि दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे जाहिर आया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा हस्तगत प्रकरण संख्या 11/2016 मे अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत दिनांक 30.05.2017 को सारांशीय कार्यवाही कर,

निर्णय किया गया है, जो उचित प्रतीत नही होता है। क्योंकि रेस्पोडेन्टगण क्रम 1 स्वंय एवं 2 ता 6 के पिता ने अपीलाधीन आराजीयात का बेचान नाबलिग अपीलांट के पक्ष में दिनांक 11.06.1974 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया था तथा बेचान के पश्चात से ही अपीलांट उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्टगण के हकूक उक्त आराजीयात पर समाप्त हो गये हैं। साथ ही विक्रय शुदा भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य के खाते की है तथा भिन्न जाति के व्यक्ति को बेचान किये जाने से भूमि अन्तरित किये जाने से धारा 42 बी आर.टी.ए. का उल्लंघन हुआ है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट द्वारा बेचान कर दी है तथा उक्त बेचान अवैध अन्तरण है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत विधि दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अटरू को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में धारा 175 आर.टी.ए. की कार्यवाही प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर, बारां